न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 09/2018

बउनवान

कमल आयु 41 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल जाति–मीना निवासी–कोटड़ी तहसील–बारां जिला–बारां, राज0 **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री सत्येन्द्र जामोदिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 28.10.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोटड़ी, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी सही अवलोकन नहीं किया है। अपीलांट को बेदखल नहीं किया है। अपीलांट किसी प्रकार से दोषी नहीं है ओर ना ही उसने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बताई गई भूमि पर कभी कोई कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को प्रोपर तामील भी नहीं करवाई गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी जाकर अपीलांट को दोषी ठहराया गया है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 अपास्त कर अपीलांट को दोषमुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है तथा अपीलांट उक्त आराजी पर भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 312/12 निर्णय दिनांक 09.05.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु जारी नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई है। साथ ही दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया जुर्माना भी अपीलांट ने जमा करवा दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना हम उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 608/14 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.03.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)